


मध्यप्रदेश शासन  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक : एफ 5-1/2021/29-2

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर, 2021

स्पष्टीकरण

इस विभाग की वेबसाइट [www.food.mp.gov.in](http://www.food.mp.gov.in) एवं मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की वेबसाइट [www.mpscdrd.mp.gov.in](http://www.mpscdrd.mp.gov.in) पर प्रदर्शित समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक 02.11.2021 के संदर्भ में जारी नियम पुस्तिका के बिन्दु क्रमांक 4 में राज्य आयोग के सदस्य पद पर नियुक्ति के संबंध में नियम उल्लेखित है। इसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यार्थी से लिखित परीक्षा लिए जाने का प्रावधान नहीं है।

  
17/11/2021  
(बी.के. चन्देल)

उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता संरक्षण विभाग